**भाषाविज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध**

ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है। तत्वतः उसे अलग-अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों आदि में इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता है कि एक-दूसरे से पूर्णता अलग हों। केवल सुविधा के लिए अखंड ज्ञान को अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि में विभाजित कर रखा है। इस तरह अखंड ज्ञान का यह विभाजन केवल व्यावहारिक है, तात्विक नहीं।

व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य ने अपनी ज्ञान की सीमा और अध्ययन-विश्लेषण की सुविधा के अनुसार अखंड ज्ञानक्षेत्र को कुछ विभागों में बॉट रखा है जिसको उसने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि की संज्ञा दी है। इन ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों में कुछ तो सामान्य और व्यावहारिक घरातल पर एक-दूसरे से बहुत संबद्ध नहीं कहे जा सकते जैसे साहित्य और गणित, रसायनशास्त्र और भाषाविज्ञान, काव्यशास्त्र और भौतिकशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र और दर्शनशास्त्र आदि। दूसरी ओर, ज्ञान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे से संबद्ध हैं। भाषाविज्ञान से भी अनेक ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों के अनेक स्तरों में विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख के साथ भाषाविज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा रहा है:

**✓ (क) व्याकरण**-भाषाविज्ञान और व्याकरण एक दूसरे के इतने समीप (दोनों का सम्बन्ध भाषा से है) है कि कभी-कभी दोनों को एक या भाषाविज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषाविज्ञान मानने का भ्रम लोगों को ही जाता है। यों दोनों में अन्तर स्पष्ट है। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है कि भाषा में कहाँ, कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है और कैसा अशुद्ध)। इसके विपरीत भाषाविज्ञान विज्ञान है जिसका सम्बन्ध इस आदर्श से नहीं है कि कहाँ, कैसा, प्रयोग होना चाहिए। वह तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब, कहाँ, कैसा प्रयोग होता है। व्याकरण विवरण और वर्णन प्रधान है तो भाषाविज्ञान विवेचन-विश्लेषण-प्रधान।

एक और प्रमुख अन्तर यह है कि व्याकरण केवल व्याकरण के रूप देकर चुप हो जाता है, जबकि भाषाविज्ञान और गहराई में जाकर यह भी पता लगाता है कि वह रूप क्या है, कहां से आया है, कितना पुराना है, आदि। इस तरह भाषाविज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक सम्बन्धों का प्रश्न है, भाषा के अध्ययन में दोनों एक-दूसरे के पूरक तो हैं ही, अन्योन्याश्रित भी हैं। बिना भाषाविज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता और दूसरी ओर भाषाओं के विश्लेषण में भाषाविज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता है। उदाहरण के लिए, व्याकरण का संधि-प्रकरण पूरी तरह भाषाविज्ञान पर आधारित है। दूसरी ओर भाषाविज्ञान अपनी प्रमुख शाखा रूपविज्ञान तथा वाक्यविज्ञान की सारी की सारी मूलभूत सामग्री व्याकरण से ही लेता है।

**(ख) साहित्य**-भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषाविज्ञान कह पाता या जान पाता कि तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। इसी प्रकार यदि आदि काल से आधुनिक काल तक का हिन्दी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषाविज्ञान हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता। इस प्रकार भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययनों में भाषाविज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पडती है। सत्य तो यह है कि केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा का, भाषाविज्ञान चाहे जिस रूप में अध्ययन करना चाहे उसे पग-पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ेगी और जीवित भाषा के सम्बन्ध में भी 'क्यों', 'कब' एवं 'कैसे' आदि के उत्तर के लिए उसे साहित्य की ही छानबीन करनी पड़ेगी।

दूसरी ओर साहित्य भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। भाषाविज्ञान उसके क्लिष्ट अर्थों एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने भाषाविज्ञान के आधार पर जायसीकृत 'प‌द्मावत' के बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों में जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट भाषाविज्ञान किया है, साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है। इस प्रकार साहित्य और भाषाविज्ञान, दोनों ही एक-दूसरे के सहायक हैं।

✓ **(ग) मनोविज्ञान**- भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध है। भाषाविज्ञान की वाहिका है और विचारों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से • है। इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में भाषाविज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक सहायता लेता है। विशेषतः अर्थविज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन के कारण जानने के लिए भी मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक रूप की जानकारी में भी मनोविज्ञान, विशेषतः बाल-मनोविज्ञान और अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई उलूल-जलूल बातों के विश्लेषण-जिसमें भाषाविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है-के द्वारा ही उनकी मानसिक गुत्थियों एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। यों भी विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषाविज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। दोनों के इस घनिष्ट सम्बन्ध के कारण ही अब भाषाविज्ञान की एक नई शाखा अस्तित्व में आ गई है जिसे मनोभाषाविज्ञान (Psycholinguistics) कहते हैं।

**(घ) शरीरविज्ञान**-भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अतएव भाषाविज्ञान की-हवा भीतर से कैसे चलती है, स्वर-यंत्र, स्वर-तंत्री, नासिका-विवर, कौवा, तालु, दाँत, जीम, ओठ, कंठ, मूर्द्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि का ग्रहण होता है-इन सबका अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीर विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आँखों से ही होता है, अतएव इस प्रक्रिया का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अंतर्गत ही है और इसके लिए भी उसे शरीर विज्ञान का ऋणी होना पड़ता है। इसी प्रकार सुरलहर, अक्षर-बलाघात आदि का अध्ययन भी शरीर-विज्ञान के बिना नहीं हो सकता।

**(ङ) भूगोल-** भाषाविज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़-पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं पर यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम का वहाँ की भाषा से भी लोप हो जाता है। 'सोमलता' शब्द का आज हमारी जीवित भाषा में न पाया जाना सम्भवतः भौगोलिक कारण से ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समद्र होंगे स्वभावतः उनके दोनों ओर के लोगों में सम्पर्क कम हो सकेगा, अतएव भाषा के प्रसार या उसमें परिवर्तन की सम्भावना कम होगी। पहाड़ तथा जंगली लोगों में आपस में कम मिलने के कारण ही प्रायः भिन्न-भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है। भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा प्रान्तों आदि के नामों के रूप में भाषाविज्ञान को अध्ययन की बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। अर्थ-विचार में भी भूगोल भाषाविज्ञान की सहायता करता है। (उष्ट्र का अर्थ 'भैंसा' से ऊँट कैसे हो गया, 'सैंधव' का अर्थ 'घोड़ा' और 'नमक' ही क्यों हुआ, या संस्कृत में 'कश्मीर' का अर्थ 'केसर' क्यों है, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी भूगोल की सहायता अपेक्षित है। भाषाविज्ञान की शाखा 'भाषा-भूगोल' तो भूगोल से और भी अधिक सम्बद्ध है और इसकी अध्ययन पद्धति भी भूगोल की पद्धति पर ही बहुत कुछ आश्रित है। दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में भाषाविज्ञान भी पर्याप्त सहायता देता है।

**(च) इतिहास**-इतिहास का भी भाषाविज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतिहास के तीन रूपों को लेकर यहाँ भाषाविज्ञान से उसका सम्बन्ध दिखलाया जा रहा है।

**1. राजनीतिक** इतिहास-किस देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हजार अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का प्रवेश, भारत की राजनीतिक परतंत्रता या इन दोनों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध का ही परिणाम है। हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की तथा पुर्तगाली शब्दों के आने का कारण जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का ही सहारा लेना पड़ेगा। पूर्वी द्वीपसमूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य भी भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध की ओर स्पष्ट संकेत करता है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषाविज्ञान, दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में सहायता पहुँचाते हैं।

**2. धार्मिक इतिहास**-भारत में हिन्दी-उर्दू समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की ही देन है। धर्म के रूप के परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का लोकधर्म से उठ जाने का ही फल है कि यज्ञ से सम्बन्धित अनेक शब्द जो कभी जीवित भाषा में प्रचलित रहे होगें आज अज्ञात हैं। व्यक्तियों के नामों को भी धर्म प्रभावित करता है। इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक इतिहास ही इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों बंगाली तथा मराठी में ब्रजभाषा के भी कुछ रूप आ जाते हैं या एक ही गाँव में रहने वाले हिन्दू की भाषा क्यों अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत- मिश्रित है, तो मुसलमान की भाषा अधिक अरबी-फारसी मिश्रित। धर्म के कारण ही बहुत-सी बोलियाँ अन्यों की तुलना में महत्वपूर्ण हाकर भाषा बन जाती हैं। मध्ययुग में ब्रजभाषा और अवधी के महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में मिलता है। दूसरी ओर धर्म के प्राचीन रूप की बहुत-सी गुत्थियाँ भाषाविज्ञान से सुलझ जाती हैं। एक देश के दूसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन में धर्म से सम्बद्ध शब्दों का अध्ययन बड़ी सहायता करता है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे से सहायता लेते हैं।

**3. सामाजिक इतिहास**-सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार भाषाविज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक दूसरे के सहायक हैं। प्रावीन साहित्य में पतिविहीन स्त्री के लिए 'विधवा' शब्द है, किन्तु पत्नीविहीन पति के लिए कोई शब्द नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। पुरुष स्त्री के मरने पर फिर शादी कर लेता था, अतः उसके लिए पत्नीविहीन रूप में किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी, पर दूसरी ओर पति के मरने पर पत्नी को आजीवन उसी रूप में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक था। प्रागैतिहासिक काल के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहायता ली जाती है। भारोपीय भाषाविज्ञान परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय लोगों की सामाजिक दशा पर अच्छकी प्रकाश पड़ता है। भारतीय भाषाओं में माँ, बाप, बहन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त साला, बहनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी है पर यूरोपीय भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द नहीं हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें जोड़-जोडकर बनाना पड़ता है। यह भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है।

**(छ) भौतिकशास्त्र**-मनुष्य जब कुछ कहता

के बाद और किसी के कान तक पहुँचने के पूर्व आकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिकशास्त्र ही हमारी सहायता करता है। वह बतलाता है कि ये लहरें किस प्रकार की होती हैं तथा अन्य ध्वनियों एवं भाषा-ध्वनियों की लहरों में क्या अन्तर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनिशास्त्र के अध्येता भाषाविज्ञान के इस क्षेत्र के अध्ययन में भौतिकशास्त्र से बहुत लाभ उठा रहे हैं। स्वर-व्यंजन आदि के तात्विक रूप पर भौतिकशास्त्र के आधार पर बहुत प्रकाश डाला गया है।

**(ज) तर्कशास्त्र-**तर्कशास्त्र का भाषाविज्ञान से कोई बहुत सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, पर भाषाविज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या-प्रधान है और व्याख्या में बिना तर्क के काम नहीं चल सकता, अतएव उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना ही पड़ता है। यास्क मुनि ने अपने अर्थविज्ञान-विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'निरुक्त' में तर्कशास्त्र से बहुत सहायता ली है। दूसरी ओर तर्कशास्त्र भी भाषाविज्ञान का कम ऋणी नहीं है। तर्क भाषा के ही सहारे चलता है, अतएव उसे अपने अध्ययन में बड़ी सतर्कता से प्रतिक्षण अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ती है।

**(झ) मानवविज्ञान**-मानवविज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों (मर्यादा, सामाजिक मनोविज्ञान, धर्म, अन्धविश्वास तथा पर्व आदि) से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों ही एक-दूसरे से अपने अध्ययन के लिए सामग्री लेते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में तरह-तरह के अन्धविश्वास घर करते रहे हैं जिनका लेखा-जोखा मानवविज्ञान में मिलता है। इन अन्धविश्वासों का भाषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में जिनके दो-चार लड़के मर जाते हैं उनके लड़कों को जीवित रखने के लिए लोग अधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हैं जैसे जोखू (उसे तराजू में जोख या तौल कर), छेदी (उसकी नाक छेदकर )घुरहू (कूड़ा), कुत्तवारू (कूड़ा) अलियार (कूड़ा) या लेंढा (रद्दी) आदि। स्त्रियाँ अपने पतिपुरका नाम नहीं लेती और उसे घुमाफिराकर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ-बाप अपने बड़े लड़के का नाम नहीं लेते। अन्धविश्वास के ही कारण बिच्छू को 'टेढ़की', साँप को 'जेवर' (रस्सी), या 'कीरा', लाश को 'मिट्टी' तथा 'चेचक' को 'माता' कहते हैं। पाखाना के जितने भी नाम हैं उसे घुमा-फिराकर कहने का प्रयास है। उदाहरणार्थ, छिया (घृणित), पाखाना (पैर रखने की जगह), टट्टी (आड़ की जगह) तथा झाड़ा (झाड़ी में यो हो) आदि। क्रियारूप में इसके लिए घुमा-फिराकर ही प्रयोग मिलते हैं जैसे बहरे जाना (औरतें 'पाखाना जाने' के लिए कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करती हैं। इसका अर्थ बाहर जाना है) दिसा जाना, जंगल जाना, नद्दी जाना, मैदान जाना, निपटने जाना तथा फरागत होने जाना आदि। भाषा की उत्पत्ति और उसके प्राचीन रूप तथा लिपि की उत्पत्ति आदि के अध्ययन में मानवविज्ञान से भाषाविज्ञान को सहायता मिलती है।

**(अ) दर्शन-**दर्शन और भाषाविज्ञान दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत में मीमांसकों, नैयायिकों आदि दार्शनिकों ने इसी कारण अपने विषय पर विचार करते समय भाषाविज्ञान की भी अनेक बातों पर विचार किया है। जैसे मीमांसा के अन्विताभिधानवाद सिद्धान्त के अनुसार भाषा में वाक्य की ही सत्ता मूल है। 'पद' उसी के तोड़े गए अंश हैं किन्तु अभिहितान्वयवाद के अनुसार 'पद' की ही सत्ता है, वाक्य उसी का जोड़ा हुआ रूप है। भाषाविज्ञान की अर्थविज्ञान-शाखा को तो लोग बहुत दिनों तक दर्शन के ही अन्तर्गत मानते रहे हैं। भाषा, भाषाविज्ञान और व्याकरण का भी अपना दर्शन होता है।

इनके अतिरिक्त समाजविज्ञान, सांख्यिकी, गणित, भाषाशिक्षण, काव्यशास्त्र यांत्रिकी आदि अन्य ज्ञान-विज्ञानों से भी भाषाविज्ञान का सम्बन्ध है। समाजविज्ञान से सम्बन्ध के कारण ही 'समाज भाषाविज्ञान' का विकास हुआ है।